INDIA NON JUDICIAL

IN-UP94357804537129Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

6097/26

Certificate No.	:	**IN-UP94357804537129Y**
Certificate Issued Date	:	06-Apr-2026 05:21 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0183585076109898Y
Purchased by	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	VILL-DONA,GATA NO-3024 ETC,TOTAL AREA-0.2086 HEC LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RIYAASATA ALI
Second Party	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,08,870 (Four Lakh Eight Thousand Eight Hundred And Seventy only)

48

Please write or type below this line

Scanned Total Pages 16

नि.स.

रियासत

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

FH 0000919728

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

47

SHCIL

(सरोजनी ...) द्वितीय
लखनऊ

96

विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट – 70,00,000/– (प्रति हे0)
2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे0) :– 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/– (प्रति हे0)

3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति – 58,40,800/–
   (वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
4. मालियत रू0 – 14,60,200/–
5. जनरल स्टाम्प – 4,08,870/–
   स्टाम्प सं. डी **IN-UP94357804537129Y** व दिनांक **06-04-2026**

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार – (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला – दोना
8. परगना व तहसील – काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद – लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 3024 का कुल रकबा 0.3670हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0611हे0,
खसरा सं० 3044 का कुल रकबा 0.2910हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0486हे0,
खसरा सं० 2662 का कुल रकबा 0.3410हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0568हे0,
खसरा सं० 3025 का कुल रकबा 0.2530हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0421हे0,
कुल रकबा 1.2520हे0 में से विक्रीत रकबा 0.2086हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.2086हे0
11. सड़क की स्थिति– किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विकित रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी0 दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नही है।

रियासत अली

45

(सरोजनी

लखनऊ

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) – नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या– 2662

15. पूरब – गाटा संख्या – 2666
16. पश्चिम – गाटा संख्या – 2660
17. उत्तर – गाटा संख्या – 2661
18. दक्षिण – गाटा संख्या – 2664

19. विक्रेता का विवरणः–

श्री रियासत अली पुत्र सूबेदार, निवासी –**गहलवारा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।**
आधार नं0 **6271 0575 3127** मो0 नं0 **8318105817** पैन नं0 **CPHIPA8284A**

20. क्रेता का विवरणः–

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत – वरूण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
गोमती नगर, लखनऊ
द्वारा – **श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला**
पदनाम – सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
विभाग – लखनऊ विकास प्राधिकरण
जनपद – लखनऊ मो0 – **9540244993**
पैन संख्या – AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नही है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नही है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा **0.2086 हेक्टेयर** भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल–खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिग **रूपये 58,40,800/–(रूपये अठ्ावन लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र)** जिसके आधे मुवलिग **रूपये 29,20,400/–(रूपये उन्तीस लाख बीस हजार चार सौ मात्र)** होते है, बदस्त **क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरूण विहार योजना** गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी /नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि **लखनऊ विकास प्राधिकरण** को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से केता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नही रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नही रहा। अगर

रियासत अली

५३

(सरोजनी नगर)
लखनऊ

42

कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा–खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नही है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नही किया गया है। और प्रष्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. **तफसील आराजी बयसुदाः–**

भूमिधरी आराजी खसरा सं० **3024** का कुल रकबा **0.3670हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0611हे0,** खसरा सं० **3044** का कुल रकबा **0.2910हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0486हे0,** खसरा सं० **2662** का कुल रकबा **0.3410हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0568हे0,** खसरा सं० **3025** का कुल रकबा **0.2530हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0421हे0,** कुल रकबा **1.2520हे0** में से विक्रीत रकबा **0.2086हे0** अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–**दोना** परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारो की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. **तफसील बसूलयाबीः–**

कुल विक्रय मूल्य मु0 **रूपये** 58,40,800/–**(रूपये अठ्ावन लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र)** विक्रेता **श्री रियासत अली पुत्र सूबेदार** उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट **PNB Bank** शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या **043168** दिनांक **02.04.2026** के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नही करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष मे विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा–बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप मे भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी मे विफल होने की दशा मे लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमे विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल

रियासत अली

५१

(सरोजनी नगर)
लखनऊ

40

कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नही लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू–राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

स्थान– लखनऊ।

दिनांक–.............2026

7/5

रियासत अली

५९

आवेदन सं०: **202601041014458**

विक्रय पत्र

बही स०: **1**	रजिस्ट्रेशन स०: **6047**	वर्ष: **2026**

प्रतिफल- 5840800 स्टाम्प शुल्क- 408870 बाजारी मूल्य - 1460200 पंजीकरण शुल्क - 58410 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 58470

श्री रियासत अली ,
पुत्र श्री सुबेदार
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना

रियासत अली

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 07/04/2026 एवं 05:10:01 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक :सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
07/04/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक
07/04/2026

हस्ताक्षर विक्रेता

रियासत अली

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह – 01

नाम – श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम – श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी – लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या– 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या – 6387717976

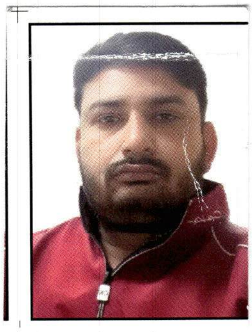

गवाह – 02

नाम – श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम – श्री राम सागर
निवासी – लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या– 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या – 7081100818

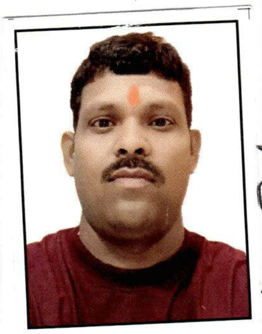

टाइपकर्ता

सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529

३१

श्री देशराज लेख0, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
07/04/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक लखनऊ
07/04/2026

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० **3024** का कुल रकबा **0.3670हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0611हे0**, खसरा सं० **3044** का कुल रकबा **0.2910हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0486हे0**, खसरा सं० **2662** का कुल रकबा **0.3410हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0568हे0**, खसरा सं० **3025** का कुल रकबा **0.2530हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0421हे0**, कुल रकबा **1.2520हे0** में से विक्रीत रकबा **0.2086हे0** अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–**दोना** परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

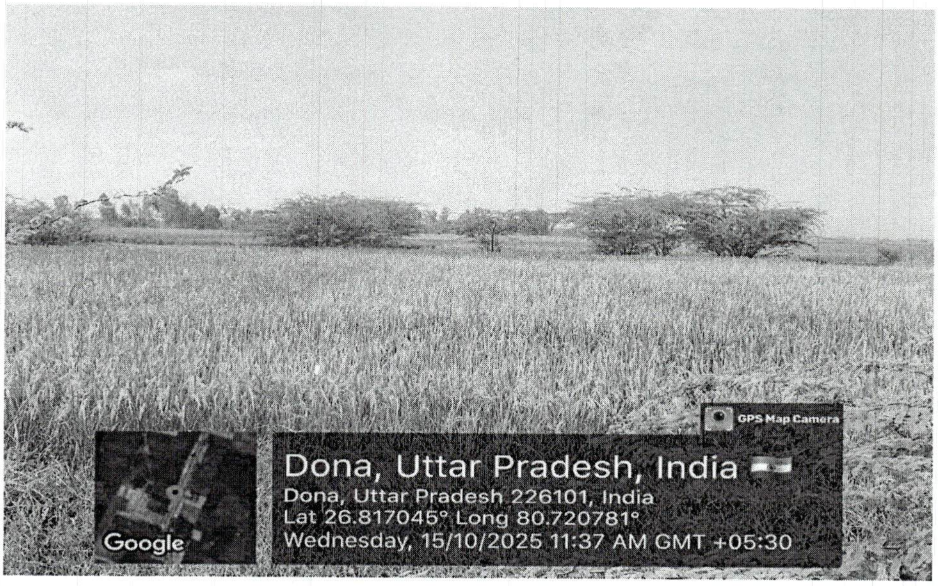

रियासत अली

विक्रेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर

आवेदन सं०: 202601041014458

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 6047 वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रियासत अली, |RIYAASATA ALI

पुत्र श्री सुबेदार

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 284A**

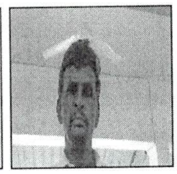

क्रेता: 1

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार), |LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

,,,,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 016F**

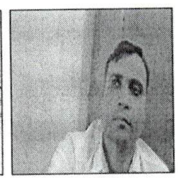

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

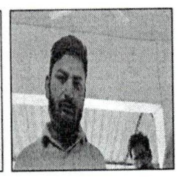

पहचानकर्ता : 2

0 – 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० **3024** का कुल रकबा **0.3670हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0611हे0**, खसरा सं० **3044** का कुल रकबा **0.2910हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0486हे0**, खसरा सं० **2662** का कुल रकबा **0.3410हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0568हे0**, खसरा सं० **3025** का कुल रकबा **0.2530हे0** में से विक्रीत रकबा **0.0421हे0**, कुल रकबा **1.2520हे0** में से विक्रीत रकबा **0.2086हे0** अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–**दोना** परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

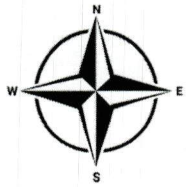

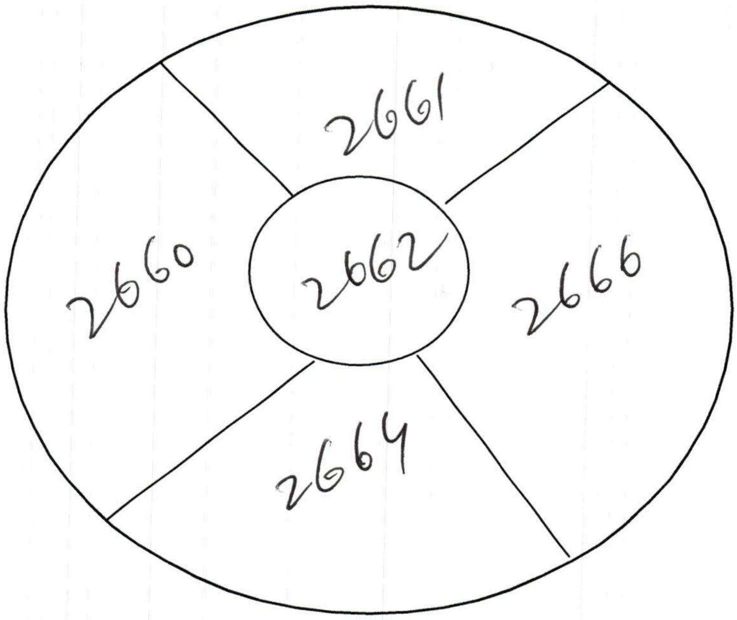

रियासत अली

विक्रेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर

37

आवेदन सं०: 202601041014458

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2253 के पृष्ठ 323 से 342 तक क्रमांक 6047 पर दिनाँक 07/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
07/04/2026

उप रजिस्ट्रार (सरोजनी नगर) द्वितीय
कार्यालय ★ लखनऊ ★